सं. ए-12025/19/2006-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 12 tu 2006.

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी foHAkx / राज्य सरकारk d lHAh foHAkx / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालय

वि-नय :- योजना आयोग e ikUufr @ प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) dh i¼fr d द्वारा lykgdkj (ty llk/u) d ,d in dk HAjk tkuk A

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में ikUufr @प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) के द्वारा **lykgdkj (ty llk/u)** d ,d in dk HAj tku का प्रस्ताव है । bl in ij fu;fDr ;ktuk vk;kx द्वारा fcuk l?A ykd lok vk;kx d ijkeÀA d dh tk,xh A iklr g, lHAh vkonuk dh tkp dju d mijkUr ,l lHAh mEehnokj tk ik=Ark dh lHAh ÀAr ijh djr gk] dk p;u lfefr d le{A lk{AkRdkj gr fuef=Ar fd;k tk,xk A ckn e p;u lfefr द्वारा p;fur mEehnokj dh fu;fDr d ckj e e=AheMy dh fu;fDr lfefr dk vueknu HAh vfuok; gkxk A

2. केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों rFAk xj ljdkjh lLFAkvk में कार्यरत अधिकारी तथा विभागीय lykgdkj rFAk संयुक्त सलाहकार, जो अनुबंध में nh xb ik=Ark dh lHAh शर्तें पूरी करते हैं rFAk bl in ij vkonu dju d bPNd gk] }kjk vkonu vkef=Ar fd, tkr g A bu lHAh vkonuk ij एक साथ विचार किया जाएगा । यदि कोई विभागीय सलाहकार/ संयुक्त सलाहकार नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रोन्नति पर मानी जाएगी । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में doy प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) ij विचार किया जाएगा ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र / राज्य सरकारों के मंत्रालयों / विभागों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि bl fjfDr को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेनित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्प-ट अनापत्ति ;

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच व-र्ो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

-/-

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 व-र्ाो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेन्ित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला yfEcr vFAok vif{Ar न हो । bl fjfDr को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से Ng llrkg तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो rFAk fLFAfr d vulkj "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्प-ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. bl fjfDr dk C;kjk लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रे-ित :

1 उपाध्यक्ष @ सभी सदस्य @ सदस्य-सचिव योजना आयोग के निजी lfpok A
2 सभी प्रधान सलाहकार @ सभी सलाहकार, @ संयुक्त सचिव (प्रशासन), योजना आयोग
3 सभी संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग
4 सूचना पट्ट

(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक

योजना आयोग में **lykgdkj (ty llk/u)** को ikUufr/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) द्वारा भरने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा : -

1. वेतनमान : 18400-500-22400 रू.
आथवा
22400-525-24500 रू.

(नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय सही वेतनमान का निश्चय किया जाएगा)

2. पद से संबद्ध कार्य :

in/kjh ;ktuk vk;kx d ty llk/u iHkkx d iHkkxk?;{k d #i e dke djx o ;ktuk vk;kx dk flpkb vkj deku {k=k fodkl d lHkh ekeyk e lykg nx vkj iHkkx }kjk fd, tku okyh vul/ku v?;;uk e ekxn'Au djx A

3. सेवाशर्तों से संबंधित अर्हताएं निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि :

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि tk रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से Ng llrkg तक होगी।

4. सेवाशर्तों से संबंधित अर्हताएं :

1. ikUufr :

(क) 18400-500-22400 रू. के लिए :

14300-400-18300 रू. के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होने उक्त xM में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच व-र्ा की सेवा की gk और मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(ख) 22400-525-24500 रू. के लिए :

18400-500-22400 रू. वेतनमान वाले ऐसे विभागीय सलाहकार जिन्होने उक्त xM में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच व-र्ा की सेवा की gk और मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

2. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)

(क) 18400-500-22400 रू के लिए :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ dk;ky;k सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii)16400-450-20000 रू. के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन व-र्ा नियमित सेवा की हों, या

(iii)14300-400-183000 रू. के वेतनमान वाले पदों पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो)।

2. ऐसे आचार्य, जिन्होंने 16400-22400 रू. के वेतनमान में तीन व-र्ा नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

<u>(क) 22400-525-24500 रू के लिए :</u>

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यलयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii) 18400-500-22400 रू. के वेतनमान वाले पदों या समतुल्य पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सलाहकार के स्तर के तुल्य हो)।

<u>5. पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव (पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के दोनों पद्धतियों के लिए प्रयोज्य) :</u>

<u>आवश्यक :</u>

(i) किसी मान्यताप्रkप्त विश्वविद्यालय से flfoy @ ty @ ty lllk/u bthfu;jh e fMxh ;k llxr fo'A"AKrk d lkFA vFAÀAkL=A में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) ty llk/u @ ty icU/ @ ihu dk ikuh dk ink; d {A=A e vul/ku @ fodkl @ ;ktuk @ ekfuVjh @ eY;kdu @ fu"iknu e समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-

500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए लिए 15 वर्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ा का अनुभव) ftld vUrxr unh ?AkVh ifj;ktuk] ty lalk/u fodkl] deku {A=A fodkl] ck< fu;=A.A] ty vkj vif'A"V ty dk ic/] fudklh] ty ink;] eyogu] LoPNrk] Bkl vif'A"V icU/ vkfn HAh lfEefyr g A

वांछनीय :

(i) llxr fofufn"V vi-nyk e bthfu;jh e मास्टर डिग्री ;k vFAÀAkL=A में MkDVjV fMxh ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा यथाlk{; #i e vkykpukRed loh{Ak] eY;kdu fjikV] vulU/ku fjikV vkfn r;kj dju dk vuHAo A

(iii) lEc¼ {A=Ak e v|ru #>kuk @ fodklk dk Kku A

6. आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि को 56 वर्ा से अधिक नहीं होगीl foHAkxh; mEehnokjk d fy, tk ikUufr d ik=A g] d fy, ,lh dkb vk; lhek ugh gkxh A

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्ा से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

ukV %& पो-ाक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी अर्थात् क्रमशः विभागीय संयुक्त सलाहकार और विभागीय सलाहकार, प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार अविभागीय अभ्यर्थी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

***

(अभ्यार्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र)

सत्यनि ठा प्रमाण पत्र

योजना आयोग में सलाहकार (________________) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री के वार्निक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनि-ठा संतो-नजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी
के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (________________) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ______________________________ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (________________) रके पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/ श्री/ श्रीमती/ सुश्री ________________________________ पर पिछले 10 व-र्ाों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

******